न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 515/दावा /2013

1 नन्दाराम पुत्र हीराराम आयु 70वर्ष निवासी भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज0

—प्रार्थी/ वादी

ब ना म

1. सरजूदेवी विधवा हेमाराम।
2. खेमाराम पुत्र दल्लाराम।
3. पुसाराम पुत्र जीवणराम।
4. पीथाराम } पुत्रगण पन्नाराम
5. भोलूराम } पुत्रगण पन्नाराम
6. गुलाबी विधवा जैसाराम।
7. गोमाराम } पुत्रगण जैसाराम
8. राजूराम } पुत्रगण जैसाराम
9. मूलीदेवी विधवा दानाराम।
10. श्रवणकुमार } पुत्रगण दानाराम
11. छोटूराम } पुत्रगण दानाराम
12. मोजीराम } पुत्रगण दानाराम
13. नानूराम } पुत्रगण दानाराम

समस्त जाति बलाई निवासीगण भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादीगण

<u>दावा बंटवारा, उदघोषण व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थितिः

1. श्री भंवर सिंह शेखावत, वकील वादी की ओर से
2. प्रतिवादी सं0 1 की ओर सें वकील श्री बंशीधर बाज्या, तथा शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

<u>निर्णय</u> दिनांक— 04.06.2019

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर, फास्टट्रेक दांतारामगढ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), दांतारामगढ,सीकर

इजलासं अशोक कुमार, आर.ए.एस

नन्दा राम बनाम सरजू देवी

दावा दावा बंटवारा, उदघोषण व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 515/दावा/सन् 2013 निर्णय दिनांक. 04.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री एच.आर.सुण्डा** मिनजानिब मुद्दई व श्री बंशीधर बाज्या मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि उपतहसीलदार लोसल के पत्रांक भू0 अ0 /18/70 दिनांक 12.04.2018 के द्वारा प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिकी निम्न प्रकार से जारी की जाती है–

क. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान रूपये में
1	नन्दा पुत्र हीरा जाति बलाई सा0 देह खातेदार	705/2	0.31	बा0 3	0.93
		706/1	0.10	बा0 3	0.30
		किता– 2	0.41		1.23
2	फूसा पुत्र जीवण हि0 51/440 सरजूदेवी बेवा हेमाराम रणजीत पुत्र हेमा हि0 1/8 खेमा पुत्र दल्ला हि0 1/8 पन्ना पुत्र टीकूं हि0 1/4 रामू पुत्र जीवण हि0 1/8 दाना पुत्र लिखमा हि0 1/4 जाति बलाई सा0 देह खातेदार सिवायचक सरकार हि0 1/110	707	0.41	बा0 3	1.23
		किता– 1	0.41		1.23

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

3	सरजूदेवी बेवा हेमाराम रणजीत पुत्र हेमाराम हि0 1/8 खेमा पुत्र दल्ला हि0 1/8, फूसा रामू पिता जीवण हि0 1/4, दाना पिता लिखमा हि0 1/4 भोलूराम पुत्र पन्नाराम मोहनीदेवी पुत्री पन्नाराम हि0ब0हि0 1/8, पप्पू पुत्र पीथा ओमीदेवी केशरदेवी मन्जूदेवी सुमनदेवी पुत्रियां पीथाराम हि0ब0हि0 1/16, गोमाराम राजेन्द्र पुत्रगण जैसाराम मन्जु परमेश्वरी सन्तोष किरण पुत्रियां जैसाराम गुलाबी देवी पत्नि जैसाराम हि0ब0हि0 1/16 जाति बलाई सा0देह खातेदार	705/1 705/3 706/2	0.41 0.51 0.32	बा0 3 बा0 3 बा0 3	1.23 1.53 0.96
		किता–3	1.24		3.72

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.06.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
सहायक [illegible] फास्टट्रेक
दांतारामगढ

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्टट्रेक), दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 515/2013/दावा

नंदाराम आयु 70 वर्ष पुत्र श्री हीराराम जाति बलाई निवासी भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादी

ब ना म

1. सरजू देवी पत्नी हेमाराम
2. खेमाराम पुत्र दल्लाराम
3. पुसाराम पुत्र जीवणराम
4. पीथाराम } पुत्रगण पन्नाराम
5. भोलूराम }
6. गुलाबी पत्नी जैसाराम
7. गोमाराम } पुत्रगण जैसाराम
8. राजू राम }
9. मूलीदेवी पत्नी दानाराम
10. श्रवण कुमार } पुत्रगण दानाराम
11. छोटू राम }
12. मोजीराम }
13. नानूराम }

समस्त जाति बलाई निवासीगण भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

14. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थिति—

1. श्री भंवरसिंह शेखावत वकील वादी की ओर से
2. श्री बंशीधर बाज्या वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

कलक्टर(फास्ट ट्रेक) ारामगढ़(सीकर)

निर्णय दिनांक 26.04.2017

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी कृषि भूमियां ख.नं. 705 रकबा 1.23 है0, 706 रकबा 0.42 है0, 707 रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों में 1/5 हि वादी का., 1/10 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 सरजूदेवी का, 1/10 हि. प्रतिवादी सं. 2

Scanned by CamScanner

खेमाराम का, 1/5 हि. प्रतिवादी सं. 3 रामू पुत्र जीवण का, 1/5 हि. प्रतिवादी सं. 4 ता 8 का तथा 1/5 हि. प्रतिवादी सं. 9 ता 13 का है तथा इसी अनुसार सुविधा के हिसाब से काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी कृषि भूमियों का विधिवत रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं किया है एवं सुविधानुसार अलग अलग व शामलाती रूप से काश्त करते चले आ रहे है किन्तु अब खातेदार संख्या में अधिक होने एवं आपस में सही रूप से कार्य एवं काश्त करने में असुविधा होने लगी है तथा विधिवत बंटवारा नहीं होने की स्थिति में कृषि भूमियों का समुचित विकास भी नहीं हो रहा है। इस कारण विधिवत बंटवारा करवाया जाकर व अलग अलग सींव नींव कायम किया जाना आवश्यक हुआ है ताकि अपने अपने हिस्से व बंटवारे में आई भूमि का समुचित विकास हो सकें। वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। इस प्रकार वादी को बंटवारा करवाकर अलग अलग नम्बर डालकर नक्शे में अंकित करवाने व खातेदारी में अंकन करवाने के अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण को वादी ने कई बार विधिवत बंटवारा करवाने व अलग अलग नींव सींव करने हेतु कहा तो आज कल करते रहे एवं दिनांक 09.06.2013 को प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया एवं अपने हिस्से को किसी अन्य को विक्रय करने की धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। समस्त कृषि भूमियों में वादी का 1/5 हिस्सा है इस प्रकार हर ईंच पर हर हिस्सेदार का कब्जा होने के कारण जब तक विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता, प्रतिवादीगण किसी अन्य को हस्तांतरित, प्रभारित नहीं करने एवं वादी के हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डालने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित करवाने के अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार भूमिधारी हे इस कारण जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार दावे में पक्षकार बनाया गया है। राज्य सरकार पर वाद नियोजन से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रकरण स्थायी निषेधाज्ञा का है एवं आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस दावा पेश किया जा रहा है अनुमति हेतु आवेदन अलग से पेश किया जा रहा है। रामू पुत्र जीवण का देहान्त हो गया हे वह नाऔलाद फौत हुआ है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर कृषि भूमियां खसरा नं. 705 रकबा 1.23 है0, 706 रकबा 0.42 है0, 707 रकबा 0.41 है. किता 3 कुल रकबा रकबा 2.06 है. तन ग्राम भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का विधिवत हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर अलग अलग सींव नींव कायम की जावें। बंटवारा अनुसार अलग अलग नम्बर डाले जाकर अलग अलग खातेदारी में अंकन किया जाकर नक्शा ट्रेश में अंकित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे वादी के हिस्से की भूमियों में वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा स्थानांतरित व प्रभारित नहीं करें। वाद पत्र के सलग्न नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेश की प्रतियां पेश की गई है।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 5, 8, 10 ता 14 बावजूद असालतन तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री बंशीधर बाज्या ने वकालतनामा पेश किया

Scanned by CamScanner

गया व प्रतिवादी सं. 2 ता 4, 6, 7, 9 की ओर से वकील श्री भवानीसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया इसके पश्चात् तारीख पेशी पर असालत अथवा वकालतन उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4, 6, 7, 9 ने मौका व रिकार्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया। वकील वादी ने मौका रिकार्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। चूंकि प्रकरण बंटवारा का है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना विधिसम्मत है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषणगण की बहस सुनी गई। वकील वादी व प्रतिवादीगण ने बहस के दौरान मौका व रिकार्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2067–70 के खाता सं. 137 के खसरा नं. 705 ता 707 किता 3 कुल रकबा 2.06 है0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 की संयुक्त खातेदारी साबित है एवं खातेदार रामू पि. जीवण नाऔलाद फौत होना वाद में अंकित किया है, लेकिन उसके वारिसान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से विभाजन प्रस्ताव बनाते समय उसके निकटतम वारिसान के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर उनके हिस्से को निकटतम रिश्तेदार के नाम दर्शित किया जावें। उपलब्ध राजस्व अनुसार वादी का 1/5 हि0 साबित है। वाद पत्र की मद सं. 1 के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण मौका व रिकार्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाने चाहते है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है ग्राम भीमा प.मं. भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की विवादित आराजियात खसरा नं. 705 ता 707 किता 3 कुल रकबा 2.06 है0 का मौके एवं रिकार्ड के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने एवं खातेदार मृतक रामू पुत्र जीवण के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर उनके हिस्से को निकटतम रिश्तेदार के नाम प्रस्तावित करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक, लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती हैः–

1. यदि पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुए बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिनांक 25.05.21017 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर एक प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें।

कलक्टर (फास्ट) ...तारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिकी जारी हो। वादी मौका कमिश्नर फीस 200/– अदा करेंगे। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बइंतजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिनांक 25.05.2017 को पेश हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 26.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक), दांतारामगढ
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner